रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 6 मई, 1989/16 वैशाख, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 फरवरी, 1989

संख्या गृह-बी(बी) 15-1/89.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-11 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश उच्च

404-राजपत्र/89-6-5-89—1,261. मूल्य: 20 पैसे।

न्यायालय के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित न्यायिक मैजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) के न्यायालय, जिनका प्रत्येक सामने अधिकारित सहित मुख्यालय दर्शित किया गया है स्थापित करते हैं:—

क्रमांक	न्यायालय का नाम	मुख्यालय	अधिकारिता
1.	न्यायिक मैजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) चल न्यायालय शिमला ।	शिमला	जिला शिमला, किन्नौर, सोलन और सिरमौर ।
2.	न्यायि मैजिस्ट्रेट (ट्रेफिक) चल न्यायालय कांगड़ा ।	धर्मशाला	जिला कांगड़ा, ऊना और चम्बा ।
3.	न्यायिक मैजिस्ट्रेट (ट्रेफिक) चल न्यायालय मण्डी ।	मण्डी	जिला मण्डी, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर तथा लाहौल व स्पिति ।

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th February 1989

No. Home-B(B)15-1/89.—In exercise of the powers conferred upon him by sub-section (1) of section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973, and in consultation with the High Court of Himachal Pradesh, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to establish the following Courts of Judicial Magistrates (Traffic) at the places with jurisdiction indicated against each:—

Sl.No.	*Name of Court*	*Headquarter*	*Jurisdiction*
1.	Judicial Magistrate (Traffic) Mobile Court, Shimla.	Shimla	Shimla, Kinnaur, Solan and Sirmaur districts.
2.	Judicial Magistrate (Traffic) Mobile Court, Kangra.	Dharamshala	Kangra, Una and Chamba districts.
3.	Judicial Magistrate (Traffic) Mobile Court, Mandi.	Mandi	Mandi, Kulu, Bilaspur, Hamirpur and L & S districts.

By order,
KANWAR SHAMSHER SINGH
Commissioner-cum-Secretary,

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 16 मार्च, 1989

संख्या पी0 सी0 एच-एच0 ए0(5)85/88.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत, उपायुक्त मण्डी के आदेश संख्या पी0 सी0 एच0-एच0एन0डी0-ए0(8)16/83-5062, दिनांक 8 दिसम्बर, 1988 को समाप्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं ।

शिमला-2, 16 मार्च, 1989

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)44/83.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत विभाग के समसंख्यक आदेश, दिनांक 4 मार्च, 1989 को समाप्त करने का तथा

जिलाधीश हमीरपुर के आदेश संख्या पंच0 एच0एम0आर0 ग0(4)-1/82-7078-81, दिनांक 24-1-89 में अंकित आरोपों की अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर द्वारा जांच करने का सहर्ष आदेश दत हैं ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव (पंचायत),
हिमाचल प्रदेश ।

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 27 जुलाई, 1988

सं0 एल0एस0जी0-डी(1)-5/84.—राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल ऐक्ट, 1968 (1968 का 19) की धारा 256 के अधीन अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित क्षेत्र को, जिनके समुचित प्रबन्धों के लिए नगरपालिका निधि का व्यय किया जा सके और जिसका नगरपालिका के रूप में गठन किया जाना समीचीन नहीं है, अधिसूचित क्षेत्र समिति जयसिंहपुर के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव करती है।

[*Authoritative English text of this Government notification No. LSG-D*(1) 5/84, *dated* 26-7-88 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*]

Shimla-2, the 26th July, 1988

No. LSG-D (1) 5/84.—Whereas the State Government proposes to declare the following area as specified in the Schedule as Notified Area Committee Jaisingpur under Section 256 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 (Act No. 9 of 1968) for making improved arrangements in that area upon which a Municipal fund may be expended, whereas, it is not expedient to constitute this as a Municipality:—

'अनुसूची'

SCHEDULE

अधिसूचित क्षेत्र समिति जयसिंहपुर की सूची खसरा नं0 सहित निम्न है:—

I-महाल जयसिंहपुर : 1 ता 806/806, 806/1, 807, 807/1, 808 ता 1167/360, 1167/1, 1168 ता 1201/34, 1201/1, 1202 ता 1208/7, 1208/1, 1209 ता 1211/3, 1211/1, 1212/1, 1212/1, 1213 ता 1216/4, 1216/1 1217 ता 1221/5, 1221/1, 1222 ता 1472/251, 1472/1, 1473 ता 1547/75, 1547/1, 15 8 ता 1577/30, 1577/1, 1578 ता 1622/45, 1622/1, 1623 ता 1775/153, जुमला किता 17 8 सालम महाल-कुल रकबा 81, मजरुआ/34, गैर मजरुआ/47.

II—महाल जगियां 1 ता 98/98, 98/1, 99 ता 415/317, 415/1, 416 ता 899/424, 899/1, 900 ता 935/36, 935/1, 936 ता 940/5, 940/1, 941 ता 972/32, 972/1, 973 ता 1278/306 कुल 1289 किता सालम महाल कुल रकबा/78, मजरुआ/31, गैर मजरुआ/47.

III—महाल कच्छाहल भंडारिया—556 ता 614/59, 614/1, 615 ता 631/17, 644, 645/2, 647 ता 695/49, 707, 709, 712/3, 851 ता 897/47, 887/1, 898 ता 965/68, 967 ता 976/10,

991 ता 1054/64, 1054/1, 1055 ता 1256/202, कुल 524 किता मिन जुमला महाल कच्छाहल भंडारियां रकबा 31-55-41 (32) मजरुआ/6-88-32/(7) गैर-मजरुआ 24-67-09 (25)।

इस तरह से अधिसूचित क्षेत्र समिति में कुल रकबा/191 मजरुआ/72 गैर मजरुआ/119 नम्बरान खसरा/3601 आबादी/2237 ।

अतः अब इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के निवासी अधिसूचित क्षेत्र समिति जैसिंहपुर की उक्त प्रस्तावित घोषणा के विषय में अपने सुझाव यदि कोई हो, इस अधिसूचना के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख छः सप्ताह की अवधि के भीतर उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से सचिव (स्थानीय स्वशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 को भेज सकते हैं। पूर्वोक्त छः सप्ताह की अवधि के अवसान के पश्चात् चाहे कैसी भी स्थिति हो, कोई भी आक्षेप ग्रहण नहीं किया जायेगा, और जनता से समय पर प्राप्त हुए सुझाव सहित, यदि कोई हो, प्रारूप-प्रस्ताव की सरकार द्वारा संवीक्षा की जायगी और उस पर सम्यक रूप से विचार किया जायगा।

Now, therefore, the inhabitants of the area specified in the Schedule are hereby called upon to submit their objections, if any, to the proposed declaration of Notified Area Committee, Jaisingpur, and all such objections should be submitted to the Secretary to the Government of Himachal Pradesh Department of Local Self Government, Shimla-2 through the Deputy Commissioner, Kangra within a period of six weeks from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh. After the expiry of a period of six weeks as aforesaid, no objection, whatsoever will be entertained and the scrutiny of draft proposal along with the objections, if any, received in time, from the public will be duly considered by the Government.

शिमला-2, 28 नवम्बर, 1988

नं0 एल0 एस0 जी0-ए0(4) 16/84.—चूंकि अधिसूचित क्षेत्र समिति चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के प्रधान तथा सदस्यों का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है ।

अतः अब, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 (अधिनिम नं0 19 आफ 19 68) की धारा 257 की उप-धारा (1) के (डी) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों को अधिसूचित क्षेत्र समिति चौपाल के लिए तत्काल तीन वर्ष के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

सरकारी सदस्य :—

1.	तहसीलदार, चौपाल, जिला शिमला	प्रधान
2.	सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, चौपाल	सदस्य
3.	सहायक अभियन्ता, हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, चौपाल	,,
4.	चिकित्सा अधिकारी, चौपाल	,,
5.	पशुपालन अधिकारी, चौपाल	,,
6.		
7.		

गैर-सरकारी सदस्य :—

1. श्री जगमोहन मधैक (अ0 जा0) .. उप-प्रधान (सदस्य)

2. श्री केशव राम लोथटा (अ0 जा0) .. सदस्य
3. श्री ओम प्रकाश शर्मा (व्यापार) मण्डल सदस्य
4. श्री शविन्द्र चन्देल सदस्य
5. श्रीमती सत्या पत्नी श्री सीरि राम, निवासी चोपाल सदस्य
6.
7.

[*In pursuance of clause*(3) *of Article* 348 *of the Constitution of India the Governor, Himachal Pradesh is pleased to publish the authoritative English text of Notification LSG-A* (4)16/84, *dated* 28-11-1988 *for the general information of the public*].

Shimla-2 *the* 28*th November*, 1988

No. **LSG. A(4)16/84.**—In exercise of the powers conferred by clause (*d*) and (*e*) of sub-section (1) of section 257 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the following official and non-official members of the Notified Area Committee Chopal in Shimla district for a period of three years, with immediate effect:—

Official members

1. Tehsildar Chopal Shimla district .. *President*
2. Assistant Engineer, P.W.D. Chopal .. *Member*
3. Assistant Engineer,, H.P.S.E.B., Chopal .. *Member*
4. Medical Officer, Chopal .. *Member*
5. Animal Husbandry Officer, Chopal .. *Member*

Non-official members

1. Shri Jaomohan Madhaik (SC) .. *Vice President (Member)*
2. Shri Keshav Ram Lauthata (SC) .. *Member*
3. Shri Om Parkash Sharma Beopar Mand'al *Member*
4. Shri Shavinder Chandel .. *Member*
5. Shrimati Satya w/o Shri Siri Ram, r/o Chopal .. *Member*

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 1988

संख्या एल0एस0जी0-ए0(3)20/80.—हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल ऐक्ट, 1968 (1968 का 19) की धारा 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित क्षेत्र समिति ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा द्वारा बनाई गई निम्नलिखित उप-विधियां जिनको हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने उक्त अधिनियम की धारा 215 और 198 (ई) (II) (III) के अधीन यथा अपेक्षित पुष्टि कर दी है, जन साधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है, और ये अधिसूचित क्षेत्र समिति ज्वालामुखी, के क्षेत्र में इस अधिसूचना के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगी :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन उपविधियों का संक्षिप्त नाम अधिसूचित क्षेत्र समिति ज्वालामुखी अनुज्ञप्ति दुकान, उद्योग या अस्थायी मेला दुकान उपविधियां 1988 हैं ।

(2) ये उप-विधियां, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगी ।

2. परिभाषाएं.—इन उपविधियों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
(1) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल ऐक्ट, 1968 अभिप्रेत है,
(2) "समिति" से अधिसूचित क्षेत्र समिति ज्वालामुखी अभिप्रेत है,
(3) "सचिव" से समिति का सचिव अभिप्रेत है, और
(4) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है,

3. खाद्य वस्तुओं का विक्रय.—किसी भी व्यक्ति को समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना, खाद्य बेचने या कोई अन्य कारबार चलाने की अनुमति नहीं होगी ।

4. अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.—(क) यदि कोई व्यक्ति, समिति क्षेत्र में खाद्य वस्तुओं का या कोई अन्य कारबार करना चाहता हो तो उसे अनुज्ञप्ति के लिए समिति के सचिव को जुडिशियल पेपर पर आवेदन करना होगा ।

(ख) अनुज्ञप्ति शुल्क निम्न प्रकार से होगा :—
(i) लघु उद्योग, आरा मशीन, आटा चक्की, धूप का कारखाना बर्फ का कारखाना और अन्य लघु उद्योगों में 50/– रुपये प्रति वर्ष ;
(ii) सभी प्रकार के सामान्य थोक और कमीशन मर्चेंट–25/– रुपये प्रति वर्ष,

(ग) सभी प्रकार के छोटे दुकानदार । (परचून) 18/– रु० प्रति वर्ष,
(घ) नवरात्रा मेलों के दौरान शुल्क :—
बड़ी दुकान 10/– रुपये प्रतिदिन ।
छोटी दुकान, 5/– रुपये प्रतिदिन ।

स्पष्टीकरण.—ऐसी दुकान जिसका क्षेत्र 6 वर्ग मीटर या कम हो, छोटी दुकान समझी जाएगी ।

5. अनुज्ञप्ति के निबन्धन और शर्तें.—प्रत्येक अनुज्ञप्ति, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक विधिमान्य होगी और आगामी वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति का प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पूर्व अवश्य ही नवीकरण करवाना होगा । इसके पश्चात् इसका नवीकरण 2.50 पैसे प्रतिदिन जुर्माने के साथ होगा ।

6. अनुज्ञापन अधिकारी.—समिति का सचिव अनुज्ञापन अधिकारी होगा ।

7. निरीक्षण अधिकारी.—समिति के प्रधान/सचिव/स्वास्थ्य निरीक्षक/सफाई निरीक्षक किसी भी दुकान का किसी भी समय निरीक्षण कर सकेगा और यदि वह अनुज्ञप्ति धारक के कब्जे से कोई ऐसी खाद्य वस्तुओं का पता लगाता है जो कि मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त न हों तो वह हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल ऐक्ट 1968 की धारा 220 के अधीन, ऐसी वस्तुओं को नष्ट करने का आदेश दे सकेगा । ऐसे अनुज्ञप्ति, धारक की अनुज्ञप्ति, जिसके कब्जे में ऐसी वस्तुएं पाई गई हों, जो मानवीय उपभोग के उपयुक्त न हों, भी रद्द किया जा सकेगा ।

8. माप और तोल निरीक्षण.—अधिनियम की धारा 221 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए समिति का प्रधान और सचिव प्राधिकृत होगा ।

9. कर्मचारियों की नियुक्ति.—ऐसे होटलों या दुकानों आदि में, जहां कि खाद्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, में, श्रमिकों और खान-पान प्रबन्धकों की नियुक्ति क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी की सिफारिशों पर होगी और ऐसे व्यक्ति को चिकित्सा अधिकारी से, प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा ।

10. अनुज्ञप्ति का अन्तरण वर्जित होगा.—उपविधि 6 के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को अन्तरणीय न होगी, अनुज्ञप्ति धारक को, यदि वह ऐसी अनुज्ञप्ति के अधीन कारोबार बन्द करना चाहता है, तो उसे कारोबार बन्द करने के आशय से एक मास पूर्व समिति के सचिव को अपनी अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए आदेश करना होगा ।

[*Authoritative English Text of this department notification No. LSG-A(3)-20/84, 7-12-88 is published under Article* 348(3) *of the Constitution of India for the General information of the public*].

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th December, 1988

No. LSG-A(3)-20/84.—The following bye-laws made by the Notified Area Committee Jawalamukhi, District Kangra in exercise of powers conferred by section 213 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 (Act No. 19 of 1968) having been confirmed by the Governor, Himachal Pradesh as required under section 215 and 198(*e*)(*ii*) (*iii*) of the aforesaid Act are hereby published for general information and shall come into force within the area of Notified Area Committee Jawalamukhi from the date of publication of this notification in the H.P. Rajpatra.

1. Short title and commencement.—(*i*) These bye-laws may be called the Notified Area Committee, Jawalamukhi Licence Fee (Shops, Industry or temporary fair Shops) bye-laws, 1988.

(*ii*) These Bye-laws shall come into force from the date of publication in the official gazette.

2. Definitions.—In these Bye-laws, unless the context otherwise requires,—

(*i*) "Act" means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968;
(*ii*) "Committee" means the Notified Area Committee, Jawalamukhi.
(*iii*) "Secretary" means the Secretary of the Committee; and
(*iv*) "Section" means the section of the Act.

3. Sale of edibles.—No body will be allowed to sell edible things or run any other business without obtaining a licence from the committee.

4. Procedure for obtaining licence.—(*a*) A person who wants to deal in edible things or to run any other business within the area of the Committee, should apply for licence on a judicial paper to the Secretary of the Committee;

(*b*) The licence fee will be as under:—

(*i*) Small scale industries, Saw mills, Floor mills, Dhoop factories, Ice factories and other small industries—Rs. 50/- per year.
(*ii*) All kinds of general wholesale and Commission Merchants—Rs. 25/- per year.

(*c*) all kinds of small shopkeepers (retailers)—Rs. 18/- per year.
(*d*) During the Navaratra fairs fees—

Large Shop	..	..	.. Rs. 10/- per day.
Small Shop	..	..	.. Rs. 5/- per day.

Explanation.—A shop covering an area of 6 square mtrs. or less shall be deemed to be a small shop.

5. Terms and conditions of licence.—Each licence will be valid upto March, 31st every year and the licence should be renewed for the ensuing year before the March, 31st every year without fail. After that it could be renewed with fine of Rs. 2 plus 50 paise for every day.

6. Licensing Officer.—The Secretary of the Committee shall be the Licensing Officer.

7. Inspecting Officers.—The President/Secretary/Health Inspector/Sanitary Inspector of the Committee may inspect any shop at any time. In case he finds a licensee in possession of any

edible things not fit for human consumption, he may order such thing to be destroyed under section 220 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968. The licence of a licensee, found in possession of edible things not fit for human consumption will also liable to be cancelled.

8. **Weight and measurement inspection.**—The President or the Secretary of the Committee shall be authorised to exercise powers and perform functions under section 221 of the Act.

9. **Appointment of servants.**—The Labourers or the caterers appointed in the shops or the hotels etc., where edible things are prepared, will be appointed on the recommendation of the Medical Officer of the area and such person shall have to procure a certificate of fitness of health from such Medical Officer every year.

10. **Transfer of licence barred.**—Licence issued under bye-law 6, shall not be transferable to any person in any case. The licensee will have to apply to the Secretary for the cancellation of his licence, if he desires to cease to carry on business under such licence, atleast one month before intention to cease to carry on the business.

By order,
Sd/-
Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हि० प्र०, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।